



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 375 राँची, सोमवार,

8 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

5 जुलाई, 2022

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4000--संयुक्त सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 720/03, गृह जिला प० सिंहभूम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4001--उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 829/03, गृह जिला देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4002--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दीपाकर श्रीजान, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 808बी/03, गृह जिला पटना, बिहार) को अगले आदेश तक उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री श्रीज्ञान की झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति हेतु उप जनसम्पर्क निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची का एक पद झारखण्ड सूचना केन्द्र, झारखण्ड भवन में अन्तरित (प्रतिनियुक्ति अवधि तक) करते हुए श्री श्रीज्ञान को अपने वेतनमान में उप जनसम्पर्क निदेशक, झारखण्ड सूचना केन्द्र, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में अधिसूचना निर्गत करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेश दिया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का.4003--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजेश प्रजापति, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 813/03, गृह जिला लोहरदगा) को अगले आदेश तक उप सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4004--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 808/03, गृह जिला देवघर) को अगले आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4005--सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची) के पद पर पदस्थापित श्री जॉर्ज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 866/03, गृह जिला हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4006--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री पंकज कुमार साव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 36/20, गृह जिला बोकारो) को अगले आदेश तक सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4007--सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनुराग कुमार तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 202/20, गृह जिला राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री तिवारी अपने कार्यों के साथ राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-3/पद०-01(ग)-04/2014 का. 4008--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 344/20, गृह जिला लोहरदगा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चैनपुर अनुमण्डल (गुमला) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या-3/पद-01(ग)-04/2014 का. 4009--कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित **श्री संजय कुमार**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 67/20, गृह जिला दुमका) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बुण्डू अनुमण्डल (राँची) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
